राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 16 मार्च, 1979

क्रमांक 243-ज(I)-79/13934.--श्री दीना नाथ, पुत्र श्री गुरां दित्ता, मकान नं. 28, कसतूरबा कालौनी, अम्बाला छावनी, तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 22 अगस्त, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) 1(ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दीना नाथ को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4037-आर-70/14674, दिनांक 2 जुलाई, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राम प्यारी के नाम रबी, 1977 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 मार्च, 1979

क्रमांक 409-ज(I)-79/14704.--श्री अमर सिंह, पुत्र श्री गुमानी सिंह गांव कोथल खुर्द, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 6 फरवरी, 1970 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 51-49-र(III)-69/4010, दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थीद्व, अब उसकी विधवा श्रीमती सन्तो के नाम खरीफ, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 192-ज(I)-79/14717.--श्री हजारी लाल, पुत्र श्री मंगल सिंह, गांव गुमीना, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 21 मार्च, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हजारी लाल को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1014-ज(I)-77/16549, दिनांक 5 जुलाई, 1977 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुन्दर देवी के नाम खरीफ, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 मार्च, 1979

क्रमांक 319-ज(I)-79/15610.--श्री तेज राम, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव कसौली, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 11 फरवरी, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तेज राम की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9-ज(II)-71/23870, दिनांक 19 अगस्त, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती राम प्यारी के नाम खरीफ, 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **441-ज(I)-79/15619.**--पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मंगतू राम उर्फ मंगतू सिंह पुत्र श्री ईशर, गांव कहरपुरा, तहसील व जिला भिवानी को खरीफ, 1974 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **429-ज(I)-79/15623.**--पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मान कौर, विधवा श्री दरबा राम, गांव खानपुर राजपुताना, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रु० वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।